न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 201/2016 राजस्व वाद

1. गेहरीलाल पिता चतराजी, जाति मेघवाल उम्र 56 वर्ष निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर के पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर मनीष कुमार पोखरा पिता रतनलाल जी पोखरा, उम्र 36 वर्ष निवासी शिव निवास, बडी होली उदयपुर जिला उदयपुर।

—वादी

बनाम

1. गोविन्द पिता बाबुलाल जी सोनी,
2. कीर्ति सोनी पत्नी गोविन्द जी सोनी,
3. सुमन देवी पत्नी बाबुलाल जी सोनी,
4. बाबुलाल पिता बालुराम जी सोनी

   सभी जाति सोनी सभी आयु वयस्क सभी निवासी लाल बाग नाथद्वारा तहसील जिला राजसमन्द।
5. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
7. उपपंजीयन अधिकारी, पंजीयन कार्यालय नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

—प्रतिवादीगण

वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा

उपस्थित : 1.. श्री गजेन्द्र टांक, अधिवक्ता वादी

2 श्री महेश वर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी सं 1 से 4

: : निर्णय : :

दिनांक :—23.04.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से यह वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि राजस्व ग्राम टांटोल, तहसील खमनोर जिला राजसमन्द मे खाता सं. 74 आराजी सं. 2820 रकबा 03—10 बीघा वाणिज्यिक भूमि स्थित है उक्त वर्णित भूमि मे से वादी ने दिनांक 13.10.1998 को जरिये विक्रय पत्र 01 बीघा 07 बिश्वा भूमि क्रय की ओर वादी अपनी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है तथा आज भी उक्त भूमि का उपयोग उपभोग वादी करता चला आ रहा है किन्तु सेवन से उक्त भूमि का रेकर्ड मे वादी का नाम दर्ज नही हुआ और उक्त भूमि विरासत से वादी को जिस विक्रेता जवेरीलाल ने विक्रय की उसकी पत्नी के नाम पर दर्ज हो गई और पत्नी ने उक्त भूमि आगे विक्रय कर दी जबकि क्रय दिनांक से ही आज दिन तक वादी का उक्त भूमि पर स्वामित्व एवं आधिपत्य है। वादी दिनांक 20.10.2016 को जब भूमि पर गया तो प्रतिवादीगण पहले से वहां मौजूद थे तो वादी ने पुछा कि आप हमारी भूमि पर क्या कर रहे हो तो प्रतिवादीगण ने कहां कि हम उक्त भूमि के मालिक है। इस पर वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से 4 को अपने मालिकाना हक बाबत रजिस्ट्री

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

Scanned by CamScanner

बताई तो प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी कि वो उक्त भूमि पर कब्जा कर लेगें तथा कब्जा नही होने की अवस्था मे उक्त भूमि जो राजस्व रेकर्ड मे हमारे नाम पर दर्ज है इस बात का फायदा उठाकर हम किसी भी व्यक्ति संस्था को उक्त भूमि किसी भी रीति से हस्तान्तरित कर देगें तथा वादी द्वारा ऐसा नही करने का निवेदन किया तो इस पर प्रतिवादी सं. 1 से 4 नही मान रहे है। इस कारण उनके विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। वे दोरान पेश करने वाद एवं सुनवाई उक्त भूमि को किसी भी व्यक्ति या संस्था को किसी भी रीति से हस्तान्तरित नही करे तथा जिस भूमि का विक्रय पत्र वादी के पक्ष मे निष्पादित है वह भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो गई है इस कारण वादी उक्त भूमि को अपने नाम पर दर्ज कराने की घोषणा कराने के अधिकारी है। केवल मात्र राजस्व रेकर्ड मे नामान्तरण दर्ज नही होने से वादी के हक व अधिकार समाप्त नही हो जाते है। जबकि वादी वर्णित भूमि मे 01 बीघा 07 बिश्वा भूमि का स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी है। प्रतिवादी सं. 7 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी सं. 1 से 4 वादग्रस्त आराजीयात को वादी के अलावा किसी ओर को हस्तान्तरित करने का कोई भी दस्तावेज पेश करे तो प्रतिवादी सं. 7 उस दस्तावेज पंजीयन न करे। वाद कारण दिनांक 20.10.2016 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने वादी को ऐलानिया धमकी दी कि वह वादी की भूमि पर कब्जा कर लेगें तथा वादी द्वारा मना करने पर भी नही मान रहे है इस कारण उत्पन्न हुआ।

अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री फरमाई जावे कि वाद पत्र के पैरा 1 मे वर्णित भूमि पर वादी के कब्जे मे दखलंदाजी नही करे वादी को उससे बेदखल नही करे न उक्त भूमि को किसी भी रीति से किसी अन्य व्यक्ति, संस्था को हस्तान्तरित करे न ऐसा स्वंय करने न किसी अन्य से करावे। यदि ऐसा करे तो पुनः आदेशात्मक आज्ञा द्वारा स्थिति यथवत कराई जावें। वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की डिक्री फरमाई जावे कि वाद पत्र मे वर्णित वादग्रस्त आराजीयात को प्रतिवादी सं. 1 से 4 के बजाय वादी को उक्त भूमि का खातेदार घोषित करावे तद्अनुरूप राजस्व रेकर्ड मे ईन्द्राज फरमाया जावें। प्रतिवादी सं. 7 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा कि डिक्री प्रचलित फरमावे कि प्रतिवादी सं. 1 से 4 वादग्रस्त आराजीयात को वादी के अलावा किसी ओर को हस्तान्तरित करने का कोई भी दस्तावेज पेश करे तो प्रतिवादी सं. 7 उस दस्तावेज का पंजीयन न करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर वाद मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख श्री किशनलाल पिता तुलसीराम मेघवाल एवं श्री नारू उर्फ नारायण पिता हीरालाल जी मेघवाल निवासी उपली ओडन से खरीदी गई है और उस पर विधिवत रूप से क्रय दिनांक से ही स्वामित्व एवं आधिपत्य उपरोक्त प्रतिवादीगण ने प्राप्त कर लिया और वर्तमान मे अपना उक्त कृषि आराजीयात पर उद्योग स्थापित कर रखा है। इस प्रकार उक्त कृषि आराजीयात पर वादी का कोई स्वामित्व एवं आधिपत्य नही है और नही वर्तमान में कब्जा वादी का है इसलिये कब्जे के अभाव मे वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है एवं वादग्रस्त आराजीयात पर वर्तमान मे वादी का कोई स्वामित्व एवं आधिपत्य नही है इसलिये वादी राजस्व रेकर्ड मे नामान्तरण दर्ज कराने का अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण ने

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner

उक्त वादग्रस्त आराजीयात श्री किशनलाल व श्री नारू उर्फ नारायण से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से क्रय की गई है तथा जब तक वादी सक्षम न्यायालय से उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को निरस्त नही करवा ले तब तक एवं उक्त श्री किशनलाल एवं श्री नारू एवं नारायण आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हे पक्षकार नही बनाने से वाद चलने योग्य नही है तथा वादी उक्त कृषि आराजीयात को उक्त कारणो से अपने नाम पर घोषित करवाने का अधिकारी नही है। प्रतिवादीगण को अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजीयात को किसी भी रीति से उपयोग उपभोग करने हस्तान्तरण विक्रय आदि करने का पूर्ण अधिकार है जिसमे वादी को कोई उजर ऐतराज करने का अधिकार नही है।

अतः निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 उपस्थित। अधिवक्ता मय वादी एवं प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत् राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा वाद आराजी सं. 2820 के संबंध मे उनके पक्ष मे दिनांक 13.10.1998 को जरिये विक्रय पत्र 01–07 बीघा भूमि क्रय की है कि घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा व आदेशात्मक आज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध मे प्रतिवादीगण को काई आपत्ति नही है एवं वादी की दाद अनुसार प्रतिवादीगण आराजी सं. 2820 रकबा 03–10 बीघा मे से विक्रय पत्र दिनांक 13.10.1998 के अनुसार 01–07 बीघा भूमि वादी के नाम घोषणा करवाने को तैयार है। इस सम्बन्ध मे दोनो पक्षो ने आपसी सहमति प्रदान की है एवं प्रतिवादीगण कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 13.10.1998 की प्रति के अवालोकन से प्रकट होता है कि वादी गेहरीलाल पिता चतरा मेघवाल द्वारा जवेरीलाल पिता जयराम जी बलाई निवासी पाखण्ड तहसील नाथद्वारा से राजस्व ग्राम टांटोल की आराजी सं. 2820 रकबा 03–10 बीघा मे से 01–07 बीघा भूमि क्रय की है।

अतः रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 13.10.1998 की प्रति एवं राजीनामे हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन करने पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं आदेश सुनाया जाता है :–

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम टांटोल, तहसील खमनोर जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2072–75 की खाता सं. 74 के आराजी सं. 2820 रकबा 03–10 बीघा मे खातेदार गोविन्द पिता बाबुलाल सोनी 1/4 कीर्ति सोनी पति गोविन्द सोनी 1/4 सुमन देवी पति बाबुलाल सोनी 1/4 बाबुलाल पिता बालुराम सोनी 1/4 सा. खातेदार के बजाय गेहरीलाल पिता चतराजी मेघवाल को रकबा 01–07 बीघा मे खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। डिकी पर्चा जारी होकर पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 23.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकरी)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

Scanned by CamScanner